



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-22072021-228418
CG-MH-E-22072021-228418

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297]
No. 297]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 22, 2021/आषाढ़ 31, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 22, 2021/ASHADHA 31, 1943

भारतीय जीवन बीमा निगम

अधिसूचना

मुंबई, 22 जुलाई, 2021

फा.सं. I-13011/03/2021-बीमा-I.—जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से बोर्ड, भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता) विनियम, 2017 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2021 है।
- ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता) विनियम, 2017 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) में, - उक्त विनियम के विनियम 6 के उप विनियम (2) में 'निगम द्वारा' शब्दों के स्थान पर 'बोर्ड द्वारा' शब्द रखे जाएं।
- उक्त विनियम के विनियम 9 में –
 - उप विनियम (1) में 'निगम' शब्द के स्थान पर 'बोर्ड' शब्द रखा जाएगा।
 - उप विनियम (2) में 'निगम' शब्द के स्थान पर 'बोर्ड' शब्द रखा जाएगा।
- उक्त विनियम के विनियम 16 के उप विनियम (1) में, खंड (ढ) में 'निगम' शब्द के स्थान पर 'बोर्ड' शब्द रखा जाएगा।
- उक्त विनियम के विनियम 19 के उप विनियम (7) में, 'निगम' शब्द के स्थान पर 'बोर्ड' शब्द रखा जाएगा।

6. उक्त विनियम के विनियम 24 के उप विनियम (1) में, दोनों स्थानों पर 'अध्यक्ष' शब्द के स्थान पर 'मुख्य अधिशासक' शब्द रखा जाएगा।
7. उक्त विनियम के विनियम 26 में 'निगम' शब्द के स्थान पर 'बोर्ड' शब्द रखा जाएगा।
8. उक्त विनियम की प्रथम अनुसूची के स्तंभ (3) में, विनियम सं. 10(1) के सामने प्रविष्टियों में 'अध्यक्ष' शब्द के स्थान पर 'मुख्य अधिशासक' शब्द रखा जाएगा।

सिद्धार्थ मोहंती, प्रबन्ध निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./159/2021-22]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 86 (अ) तारीख 2 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 22nd July, 2021

F.No. I-13011/03/2021-Ins. I.—In exercise of the powers conferred by section 49 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Board, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Life Insurance Corporation of India (Agents) Regulations, 2017, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Life Insurance Corporation of India (Agents) (Amendment) Regulations, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Life Insurance Corporation of India (Agents) Regulations, 2017 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 6 of the said regulations, in sub-regulation (2), for the words “by the Corporation”, the words “by the Board” shall be substituted.
3. In regulation 9 of the said regulations,—
 - (i) in sub-regulation (1), for the word “Corporation”, the word “Board” shall be substituted;
 - (ii) in sub-regulation (2), for the word “Corporation”, the word “Board” shall be substituted.
4. In regulation 16 of the said regulations, in sub-regulation (1), in clause (n), for the word “Corporation”, the word “Board” shall be substituted.
5. In regulation 19 of the said regulations, in sub-regulation (7), for the word “Corporation”, the word “Board” shall be substituted.
6. In regulation 24 of the said regulations, in sub-regulation(1), for the word “Chairman” at both places where they occur, the words “Chief Executive” shall be substituted.
7. In regulation 26 of the said regulations, for the word “Corporation”, the word “Board” shall be substituted.

In the First Schedule to the said regulations, in column (3), for the entries against Regulation No. 10(1), for the word “Chairman”, the words “Chief Executive” shall be substituted.

SIDDHARTHA MOHANTY, Managing Director

[ADVT.-III/4/Exty./159/2021-22]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 86(E), dated the 2nd February, 2017.